निकाह में बराबरी

निकाह के सिलसिले में इस्लाम किफ़ाअत या कुफ़ू पर ज़ोर देता है जिसका मतलब यह है, कि लड़के और लड़की की समाजिक स्थिति सामान हो। इस निर्देश की आत्मा को समझने में कई बार लोग ग़लती करते हैं, और इस सम्बन्ध में सन्तुलित सोच से दूर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से यह मामला वैचारिक मतभेद का विषय बन जाता है। इस सिलसिले में एक राय बनाने के लिए 11वें फ़िक़्ही सेमिनार में ग़ौर करके निम्न प्रस्ताव पास किया गया। यह सेमिनार 17-19 अप्रैल 1999 ई0 को पटना में आयोजित हुआ।

1- इस्लाम सभी इंसानों को एक समान और बराबर मानता है और आदमी आदमी के बीच कोई फ़र्क़ नहीं करता। एक इंसान के रूप में सब को बराबर का आदर और सम्मान प्राप्त है। क़ुरआन में अल्लाह तआला का फ़रमान है:

"ए इंसानो! हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें अलग अलग ख़ानदानों और क़बीलों (गरोहों) में विभक्त किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। तुम में अल्लाह की नज़र में सबसे श्रेष्ठ वह है जो तुम में सब से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और उसकी अवज्ञा से बचने वाला है"।

(सूरः हुजरात, आयतः 96)

इस लिए इस्लाम इनसानों के वर्गीकरण और रंगभेद व जातिभेद के आधार पर उनमें ऊंच-नीच की भावना के ख़िलाफ़ है, और ऐसी मान्यताओं को सख़्ती के साथ नकारता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

"हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता (इज़्ज़त) प्रदान की"।

(क़ुरआन, 17: 70)

2- इस्लाम ने स्पष्ट रूप से भाईचारे की कल्पना दी है। अल्लाह का फ़रमान है:

"सारे ईमान वाले भाई भाई हैं" (क़ुरआन, 49: 10)

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) (उनपर ईश्वर की कृपा हो) का फ़रमान है:

"एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए दीवार में चुनी हुई ईंटों की तरह है जो एक दूसरे को सहारा देती हैं"।

एक और हदीस में आप ने फ़रमायाः

"مثل المؤمنين فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو عداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"۔

"इस लिए हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जाति और रंग के आधार पर किसी को कमतर समझना और वंश या परिवार के आधार पर अपने ऊपर गर्व करना इस्लामी शिक्षाओं का उल्लंघन है। रसूल

(सल्ल0) का फ़रमान है:

"किसी मुसलमान के लिए यह जाइज़ नहीं कि वह अपने भाई को बेइज़्ज़त करे, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त हराम है"।

3- निकाह के ज़रिए से दो अनजाने मर्द और औरत जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं और एक दूसरे के लिए राज़दार, वफ़ादार और एक दूसरे को राहत देनेवाले बन जाते हैं। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

"वे (औरतें) तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो"। (क़ुरआन, 2:187)

एक और जगह फ़रमाया:

"यह उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए खुद तुम्हारी जान से जोड़ा पैदा किया ताकि तुम उससे राहत हासिल करो, और तुम्हारे बीच मुहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी"।

इस्लाम निकाह के बंधन को दृढ रखना चाहता है और इसके लिए ऐसे आदेश देता है कि जिन्हें अमल में लाने से निकाह करनेवाला अपने मक़सद को पूरा करे और पति पत्नी जीवन भर प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के साथ रहें।

4- किफ़ाअत का मतलब समानता और एकरूपता है। पति पत्नी के बीच विचारों, जीवन पद्धति, रहने के स्तर और व्यवहार में एकरूपता होने से उनके बीच दृढ प्रेम सम्बन्ध सुनिश्चित होता है। जिन पति पत्नी की जीवन शैली, विचारों और व्यवहार में एकरूपता नहीं होती या बहुत .ज्यादा अन्तर होता है उनमें प्रेम की भावना विकसित नहीं होती और ऐसे रिश्तों के टूटने की सम्भावना .ज्यादा होती है। निकाह के बन्धन में बन्धने के बाद रिश्ते का टूटना एक परिवार के बिखर जाने का कारण बनता है, और यह विशेष रूप से पति पत्नी के लिए दुर्भाग्य की बात होती है इस लिए इस्लामी शरीअत निकाह के लिए दोनों पक्षों में समानता और एकरूपता पर ज़ोर देती है।

5- किसी मुसलमान मर्द का निकाह किसी भी मुसलमान औरत से दोनों की इच्छा के अनुसार अगर होता है तो यह निकाह सम्पन्न हो जाता है, और शरीअत की तरफ़ से मान्य है। निकाह के वैध होने के लिए समानता या एकरूपता (किफ़ाअत) अनिवार्य नहीं है। यह केवल निकाह के बन्धन को स्थायित्व देने और बनाए रखने के लिए है।

6- कोई भी ग़ैर-मुस्लिम इस्लाम धर्म अपना लेने के बाद मुस्लिम समाज का सामान्य सदस्य बन जाता है। उसे वह सारे अधिकार हासिल होते हैं जो परिवारिक मुसलमानों के लिए हैं। मुस्लिम समाज में शामिल होने वाले नए सदस्यों (नव-मुस्लिमों) से परिवारिक मुस्लिम लड़की या लड़के का निकाह जायज़ है और निकाह करनेवाले परिवारिक मुस्लिम लड़की या लड़के और उसके परिवार वालों को इसमें .ज्यादा सवाब (पुण्य) मिलने की आशा है।

7- किफ़ाअत (एकरूपता) का निर्देश औरत के मामले में ख़ास है यानी मर्द को औरत के स्तर का या

उससे ऊंचा होना चाहिए, औरत के लिए मर्द के स्तर के समान होना ज़रूरी नहीं है।

8- अगर किसी अक़्ल रखने वाली बालिग़ लड़की ने अभिभावक की मर्ज़ी के बग़ैर अपनी इच्छा से किसी ग़ैर कुफ़ू (अपने सामाजिक स्तर से नीचे) के मर्द से निकाह कर लिया तो यह निकाह शरीअत की तरफ़ से मान्य होगा, लेकिन अभिभावक को इस मामले में क़ाज़ी के यहां मुक़द्दमा करने का हक़ होगा।

9- किसी लड़के या उसके अभिभावकों ने निकाह से पहले अपने परिवार या समाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में ग़लत जानकारी दी और निकाह कर लिया तो यह निकाह मान्य और प्रभावी होगा। लेकिन लड़की या उसके अभिभावकों को लड़के और उसके परिवार वालों के ख़िलाफ़ क़ाज़ी के यहां मुक़द्दमा करने का हक़ होगा।

10- किफ़ाअत के सम्बन्ध में सबसे पहली शर्त दीनदारी की है। अन्य मामले रिवाज, आदतों और समाजिक हालतों पर निर्भर हैं। इस लिए इस सम्बन्ध में पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए किफ़ाअत की शर्त और उसका आधार एक समान नहीं हो सकता। इसलिए हर क्षेत्र के आलिम और फ़िक़्ही जानकार स्थानीय रिवाजों, आदतों और सामाजिक हालतों के आधार पर किफ़ाअत की शर्तें तय कर सकते हैं, लेकिन किफ़ाअत इस लिए नहीं है कि उसे एक दूसरे के मुक़ाबले अपनी इज़्ज़त और बरतरी जताने का आधार बनाया जाए।

☆☆☆